COURT FEE ५ INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
COURT FEE १० INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(2)

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R-1223-II/2002 प्रकरण क्रमांक /२००२ निगरानी

राजमणीसिंह पुत्र श्री रामानुजप्रतापसिंह,
निवासी ग्राम डिहिया तहसील हुजूर, जिला
रीवा — — आवेदक

24 MAY 2002

बनाम

१) अनिरुद्धसिंह पुत्र श्री कौशलसिंह,

२) तेजप्रतापसिंह पुत्र श्री रामानुजप्रतापसिंह,
निवासीगण डिहिया तहसील हुजूर,
जिला रीवा

-- ----अनावेदकगण.

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू-राजस्व संहिता, १९५९ विरुद्ध आदेश श्री बी०पी०सिंह, अपर कमिश्नर संभाग रीवा जो कि प्र० क्र० १०/पुनरावलोकन/२०००-२००१ मे दिनांक २६-३-२००२ को पारित किया गया ।

24.8.2002
(S P Dhakad, Rel)

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय हुजुर जिला रीवा के समक्ष दि० ३०-१-९५ को अनावेदक क्रमांक १ द्वारा म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा १७८ के अन्तर्गत संयुक्त खाते के बटवारे हेतु एक आवेदन पत्र आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक २ के विरुद्ध पेश किया गया । यह आवेदन पत्र प्र० क्र० ३१-अ-२७/९४-९५ पर पंजीकृत किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर, सरसरी तौर पर आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक २ के खिलाफ बगैर समुचित तामील के, सुनवाई का अवसर दिए बगैर,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1223–दो/02 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13 – 12–16	आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित । अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । 2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 10/पुनराविलोकन/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2002 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण में आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । प्रकरण में आवेदकगण के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत कर बताया कि पुनरावलोकन व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एवं आदेश 47 नियम 1 के तहत ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। किसी नवीन और महत्वपूण विषय या साक्ष्य की खोज जो सम्पर्क सतर्कता बरतने पर भी उस समय जब आदेश दिया गया था, उस पक्षकार की जानकारी में नहीं था अथवा प्राप्त नहीं की जा सकती थी। अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा रिव्यु मेमों में जो आधार लिये गये है वे निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08.03.2001 का रिव्यु किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं है, इसलिये क्योंकि, ना तो किसी नवीन	

और महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य की खोज है न ही मामले में अभिलेख पर स्पष्ट दर्शित कोई भूल या अशुद्धि है और न कोई अन्य पर्याप्त कारण है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया कि प्राधिकारी के अपने अपीलीय कोर्ट के वरिष्ठ राजस्व प्राधिकारी से अपना या अपने पूर्ववर्ती आदेश का रिव्यु करने के लिये पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। अन्यथा ऐसा आदेश अवैध होगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा द्वारा रिव्यु प्र0क्र0 10/2000–01 में पारित आदेश अवैध एवं अधिकारिता रहित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

4/ मूल प्रकरणों के सूक्ष्म अवलोकन उपरांत पाया गया कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ अपर आयुक्त रीवा के समक्ष पुनर्विलोकन संबंधी आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूलवश प्रकरण में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसी कारणवश अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक के द्वारा संहिता की धारा 51 के तहत प्रस्तुत पुर्नविलोकन का आवेदन दिनांक 01.05.2001 को स्वीकार किया है एवं प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 08.03.2001 निरस्त करते हुये नियमानुसार निये सिरे से गुण–दोषों पर अंतिम आदेश पारित किया है।

5/ जहॉ तक दोनों प्रकरणों (प्र0 क्र0 397/96–97 एवं 843/96–97) को साथ शामिल कर आदेश पारित करने का प्रश्न है, इस संबंध में पक्षकारों के सहमति का

प्रश्न ही नहीं उठता। दोनों प्रकरणों में पक्षकार एक ही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उनके सुविधा के लिये ही दोनों प्रकरणों की सुनवाई एक–साथ किया जाकर विधिक बिन्दुओं पर आदेश पारित किया है। अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा निगरानी प्र0 क्र0 843/96–97 से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 27.11.96 का सूक्ष्म अवलोकन किया, जिसमें पाया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तित का आदेश पारित करने के पश्चात भी प्रकरण में नायब तहसीलदार के स्तर से कार्यवाही शेष बचती है। ऐसे में अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय ने उक्त आदेश को अंतिम आदेश नहीं माना है, क्योंकि ऐसे आदेश के विरूद्ध निगरानी ही दायर की जा सकती है। अनावेदक को वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार होने के नाते संहिता की धारा 178 के तहत कार्यवाही कराने का अधिकार प्राप्त था और तद्नुसार नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 31/अ–27/94–95 में पारित आदेश दिनांक 05.09.95 के जरिये संहिता के उपबन्धों के अनुसार विस्तृत जांच के उपरांत कार्यवाही आदेशित किया । विचारण न्यायालय में इस प्रकरण में दिनांक 16.03.95 को अनावेदक क्र0 2 तथा दिनांक 13.03.95 को आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी थी और आवेदकगण ने इस एकपक्षीय कार्यवाही के विरूद्ध संहिता की धारा 35 (3) के अनुरूप कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं किया। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह मान्य करना की आवेदकगण को

विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया या उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया, विधिसंगत नहीं है। विचारण न्यायालय में आवेदकगण को विधिवत पक्षकार बनाया गया, उन्हें सूचना–पत्र की तामीली भी हुई है बल्कि दिनांक 13.05.95 को अनावेदक क्र0 2 की ओर से अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब भी प्रस्तुत किया है । ऐसी स्थिति में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर न लेने का प्रश्न ही नहीं था। नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 05.09.95 के जरिये खाता–विभाजन का संहिता के धारा 178 के अनुरूप आदेश पारित किया है, जिसे यथावत प्रभावशील रखते हुये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.96 निरस्त किया है और इस संबंध में अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 50 तहत दायर की गई निगरानी दिनांक 03.12.96 स्वीकार किया जाता है।

6/ अपर आयुक्त ने लम्बित निगरानी प्र0क्र0 397/95–96 से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 02.08.96 का भी अध्ययन किया, जिसके जरिये अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय के प्रकरण क्र0 26/अ–6/92–93 में आवेदक को विचारण न्यायालय में आपत्तिकर्ता मानते हुये अपील दायर करने का अधिकारी माना है, इस अभिमत से अपर आयुक्त ने अपनी सहमती दी है। आपत्तिकर्ता के आपत्ति को तहसीलदार द्वारा विचार योग्य न पाये जाने के कारण अमान्य कर दी गई थी। तहसीलदार ने इस बिन्दु का विधिसंगत निराकरण अपने आदेश दिनांक

27.01.95 के जरिये किया है। जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण न पाकर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.95 को यथावत प्रभावशील मानते हुये इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 02.08.96 निरस्त किया गया और अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 26.03.2002 विधि अनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किया जाता है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य